प्रेस के लिए सूचना टिप्पणी (प्रेस विज्ञप्ति सं. 117/2026)

<u>तत्काल जारी करने हेतु</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 जारी किए

नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 (2026 का 4) दिनांक 10.09.2026 जारी किए हैं, जिनके द्वारा सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 (2012 का 15) दिनांक 14 मई, 2012 एवं उनके अधीन जारी सभी आदेश और निर्देश, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से निरस्त किए जाते हैं।

2. सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 किसी कार्यक्रम के प्रसारण में घड़ी के एक घंटे में बारह मिनट के विज्ञापनों की अधिकतम सीमा विहित करते हैं। ये विनियम प्राधिकरण को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने या विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को आदेश या निदेश जारी करने का अधिकार देते हैं।

3. ये विनियम मुख्यतः केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (11) के अधीन विहित विज्ञापन अवधि की अधिकतम सीमा की, सेवा की गुणवत्ता के उपाय के रूप में, निगरानी और प्रवर्तन के लिए आशयित थे।

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 21 अगस्त, 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 का उप-नियम (11) विलोपित कर दिया, जिससे टेलीविजन चैनलों के लिए विहित बारह मिनट की विज्ञापन अवधि की अधिकतम सीमा हटा दी गई। यह अधिकतम सीमा टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विकल्प को देखते हुए तथा टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार सुगमता सुनिश्चित करने की दृष्टि से हटाई गई है।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा विज्ञापन अवधि की अधिकतम सीमा हटाए जाने के पश्चात्, भादूविप्रा विनियमों के अधीन तत्संबंधी विनियामक प्रावधानों को बनाए रखना केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(11) से असंगत होगा।

6. तदनुसार, केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 एवं उनके अधीन जारी सभी आदेशों और निदेशों को, सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 के सरकारी राजपत्र में जारी होने की तारीख से निरस्त करने का निर्णय किया है।

(अशोक कुमार झा)
सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा